राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 77/2025

श्रीमती प्रभा शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक, चित्तौड़गढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.01.2025
आदेश की दिनांक : 20.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति. स्थाई राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II हिंदी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चैनपुरा ब्लॉक भैसरोड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चैनपुरा, ब्लॉक भैसरोड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर अधिशेष कार्मिक नहीं है। अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष होना मानते हुए स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग की नीति के अनुसार अपीलार्थी को पास के ही ब्लॉक में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था, परंतु अपीलार्थी को उसी ब्लॉक में दूर स्थानांतरित किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। हम पाते हैं कि अपीलार्थी का विद्यालय क्रमोन्नत हो जाने के आधार पर अपीलार्थी को अधिशेष

माना गया है तथा अपीलार्थी को उसी ब्लॉक एवं उसी जिले में पदस्थापन किया गया। अपीलार्थी को अधिशेष माने जाने में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। इस प्रकार आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भडारी)
सदस्य(न्यायिक)